रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-02092026-275928
SG-DL-E-02092026-275928

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246]	दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2026/भाद्र 3, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 181
No. 246]	DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2026/BHADRA 3, 1948	[N. C. T. D. No. 181

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 अगस्त, 2026

फा.सं. 14 (110)/LA-2026/ala1/54-64.— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 24th August, 2026 को प्राप्त कर ली है और इसे जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है -

शयन कक्ष तथा भोजन संस्थापना (निरसन) अधिनियम, 2026

(2026 का दिल्ली अधिनियम 08)

(11th August, 2026 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

25th August, 2026

एक अधिनियम, जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू होने वाले "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) शयन कक्ष तथा भोजन संस्थापना (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2007" को निरस्त करना है, इसे भारत गणराज्य

के सतहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:-

1) इस अधिनियम को दिल्ली शयन कक्ष तथा भोजन संस्थापना (निरसन) अधिनियम, 2026 कहा जाए।

2) यह उस तिथि से लागू होगा जिस तिथि को सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगी ।

2. निरसन एवं बचाव:-

1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) शयन कक्ष तथा भोजन संस्थापना (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का दिल्ली अधिनियम संख्या 11) और इसके संशोधन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) शयन कक्ष तथा भोजन संस्थापना (पंजीकरण एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम 3) तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) शयन कक्ष तथा भोजन संस्थापना (पंजीकरण एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का दिल्ली अधिनियम 4) को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

2) ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त अधिनियमों के अन्तर्गत किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई (जिसमें कोई भी प्रदान किया गया पंजीकरण, जारी किया गया प्रमाण पत्र, दिया गया आदेश, दी गई स्वीकृति या शुरू की गई कार्यवाही शामिल है), जहां तक वह इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है, इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया या लिया गया माना जाएगा।

3) इस निरसन से निम्नलिखित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा:-

(क) निरस्त किए गए अधिनियमों का पूर्व संचालन या उसके अंतर्गत विधिवत रूप से किया गया कोई भी कार्य या उससे हुई कोई भी क्षति;

(ख) निरस्त किए गए अधिनियमों के अन्तर्गत अर्जित, प्राप्त या उत्पन्न कोई भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देनदारी; या

(ग) किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देनदारी के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है जैसे कि निरस्त अधिनियम निरस्त नहीं किए गए हों।

4) उक्त अधिनियमनों के निरसन के संबंध में सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के प्रावधान लागू होंगे।

मनमीत सिंह वालिया, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 25th August, 2026

F. No. 14 (110)/LA-2026/*ala1/54-64*.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 24th August, 2026 and is hereby published for general information.

THE DELHI BED AND BREAKFAST ESTABLISHMENTS (REPEAL) ACT, 2026

(DELHI ACT No. 08 OF 2026)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 11th August, 2026).

[25th August, 2026]

An Act to repeal the National Capital Territory of Delhi (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration and Regulation) Act, 2007.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:

1. Short title and commencement

1) This Act may be called the Delhi Bed and Breakfast Establishments (Repeal) Act, 2026.

2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Repeal& Savings:

1) "The National Capital Territory of Delhi (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration and Regulation) Act, 2007" (Delhi Act No. 11 of 2007) and its amendments "The National Capital Territory of Delhi (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration and Regulation) (Amendment) Act, 2009" (Delhi Act 03 of 2010) and "The National Capital Territory of Delhi (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration and Regulation) (Amendment) Act, 2021" (Delhi Act 04 of 2021) are hereby repealed.

2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken (including any registration granted, certificate issued, order made, approval given or proceedings initiated) under the repealed Acts shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

3) The repeal shall not affect—

   (a) the previous operation of the repealed Acts or anything duly done or suffered there under;

   (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the repealed Acts; or

   (c) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation or liability may be instituted, continued or enforced as if the repealed Acts had not been repealed.

4) The provisions of section 6 of the General Clauses Act, 1897 shall apply in relation to the repeal of the said enactments."

MANMEET SINGH WALIA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.09.02 11:43:22 +05'30'